

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का दशम सत्र
दिनांक 08 नवम्बर, 2023

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 177,69,30,000 (एक सौ सतहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-5. श्री जनक सिंह, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

6. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 91,53,73,000 (इक्यान्वे करोड़ तिरेपन लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 7-8. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

9. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 785,36,88,000 (सात सौ पचासी करोड़ छत्तीस लाख अठ्ठासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 10-12. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13. **प्रभारी मंत्री**, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 47,89,000 (सैंतालीस लाख नवासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक- निर्वाचन विभाग

14. **प्रभारी मंत्री**, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000 (दस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

15. **प्रभारी मंत्री**, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

16. **प्रभारी मंत्री**, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 38,62,40,000 (अड़तीस करोड़ बासठ लाख चालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 17-18. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक सहकारिता विभाग

19. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 156,54,77,000 (एक सौ छप्पन करोड़ चौवन लाख सतहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 20-21. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

22. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 219,30,65,000 (दो सौ उनीस करोड़ तीस लाख पैंसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 23-25. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की उर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

26. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,10,01,000 (एक करोड़ दस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 27-28. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

29. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3340,61,00,000 (तीन हजार तीन सौ चालीस करोड़ ईकसठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 30-32. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

33. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 17,37,01,000 (सत्रह करोड़ सैंतीस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
34. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

35. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 550,04,43,000 (पाँच सौ पचास करोड़ चार लाख तैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 36-38. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

39. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 55,32,97,000 (पचपन करोड़ बत्तीस लाख सतानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 40-41. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

42. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1625,33,34,000 (एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख चौत्तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 43-46. श्री जनक सिंह, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार को स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

47. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7672,50,27,000 (सात हजार छः सौ बहतर करोड़ पचास लाख सत्ताईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 48-51. श्री जनक सिंह, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री अरूण शंकर प्रसाद, एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

52. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 702,43,63,000 (सात सौ दो करोड़ तैंतालीस लाख तिरसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 53-54. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

55. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 366,12,62,000 (तीन सौ छियासठ करोड़ बारह लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 56-58. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

59. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24,00,00,000 (चौबीस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

60. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

61. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 17,81,13,000 (सत्रह करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 62-63. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

64. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 65,92,53,000 (पैंसठ करोड़ बानवे लाख तिरपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

65. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की विधि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-29

आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

66. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,33,00,000 (तीन करोड़ तैंतीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 67-68. श्री जनक सिंह एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

69. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 29,04,000 (उन्तीस लाख चार हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 70-71. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की अल्पसंख्यक नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

72. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,00,000 (दो लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

73. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग

(संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,55,90,000 (छः करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

74. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 37,85,20,000 (सैंतीस करोड़ पचासी लाख बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

75. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,97,000 (नौ लाख सतानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

76. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

77. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 465,18,00,000 (चार सौ पैसठ करोड़ अठारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 78-80. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

81. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1500,00,00,000 (एक हजार पाँच सौ करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 82-85. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री सुरेन्द्र मेहता एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

86. प्रभारी मंत्री, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 79,16,00,000 (उनासी करोड़ सोलह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 87-89. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

90. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 40,37,54,000 (चालीस करोड़ सैंतीस लाख चौवन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 91-93. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

94. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,30,64,000 (तेरह करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 95-97. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

98. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 750,00,01,000 (सात सौ पच्चास करोड़ एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 99-102. श्री जनक सिंह, श्री जय प्रकाश यादव, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

103. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1287,02,23,000 (एक हजार दो सौ सतासी करोड़ दो लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 104-106. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

107. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 49,50,01,000 (उनचास करोड़ पचास लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

108. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

109. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 80,00,00,000 (अस्सी करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

110. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

111. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 75,05,000 (पचहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

112. श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

113. **प्रभारी मंत्री**, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 33,78,34,000 (तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख चौतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

114. **श्री प्रेम कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

115. **प्रभारी मंत्री**, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 31,71,66,000 (इक्तीस करोड़ ईकहत्तर लाख छियासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

116. **श्री प्रेम कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

117. **प्रभारी मंत्री**, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4276,05,87,000 (चार हजार दो सौ छिहत्तर करोड़ पाँच लाख सत्तासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 118-120. **श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49
आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

121. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 256,71,17,000 (दो सौ छप्पन करोड़ ईकहतर लाख सत्रह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 122-124. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50
आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

125. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000 (दस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 126-127. श्री जनक सिंह एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51
आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

128. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1094,53,23,000 (एक हजार चौरानवे करोड़ तिरपन लाख तेईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

129-131. श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

राज कुमार
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-10/2023- 4893 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

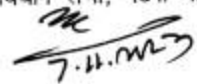

7.11.23

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-10/2023- 4893 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 नवम्बर, 2023 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव, बिहार विधान सभा एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

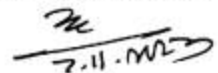

7.11.23

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-10/2023- 4893 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 नवम्बर, 2023 ई० ।

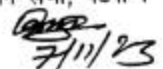
प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


7.11.23

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।


7/11/23